भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947

वर्ष 1947 संख्यांक 2

रिश्वत और भ्रष्टाचार के अधिक प्रभावी निवारण के लिए अधिनियम

अत: रिश्वत और भ्रष्टाचार के निवारण के लिये अधिक प्रभावी उपलब्ध बनाना समीचीन है;

अत: एतद्वारा निम्नलिखत रूप में यह अधिनियमित किया जाता है —.

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार- (1) यह अधिनियम **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,** 1947 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के सब नागरिकों को भी लागू है ।

2. **निर्वचन-** इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "लोक-सेवक" से भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में यथापरिभाषित लोक सेवक अभिप्रेत है ।

3. **दण्ड संहिता की धारा 165 के अधीन अपराधों का संज्ञेय अपराध होना-** भारतीय दंड संहिता की धारा 165 क के अधीन दंडनीय कोई अपराध प्रक्रिया संहिता, 1898 के प्रयोजना के लिए, उसमें किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, संज्ञेय अपराध समझा जाएगा ।

4. **जहां लोक सेवक वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण प्रतिगृहीत करता है वहां उपधारणा –** (1) जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 161 या धारा 165 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के या इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट और उसकी उपधारा (2) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किसी विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) कोई परितोषण या कोई मूल्यवान चीज अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिग्रहीत या अभिप्राप्त की है अथवा प्रतिग्रहीत करने के लिए सहमति दी है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है वहां जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जायेगी कि उसने, यथास्थिति, उस परितोषण या मूल्यावान चीज को ऐसे हेतु या इनाम के रूप में, जैसा उक्त धारा 161 में वर्णित है, या यथास्थिति, प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका अपर्याप्त

होना वह जानता है, प्रतिग्रहीत या अभिप्राप्त किया है अथवा प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत हुआ है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है ।

(2) जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 165क के अधीन या इस अधिनियम कि धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ii) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किसी विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) कोई परितोषण या कोई मूल्यावान चीज दी है या देने की प्रस्थापना की है या देने का प्रयत्न किया है, वहां जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि उसने, यथास्थिति, उस परितोषण या मूल्यावान चीज को ऐसे हेतु या इनाम के रूप में, जैसा भारतीय दंड संहिता की धारा 161 में वर्णित है या, यथास्थिति, प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका अपर्याप्त होना वह जानता हो, दिया है या देने की प्रस्थापना की है या देने का प्रयत्न किया है ।

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय उक्त उपधाराओं में से किसी में निर्दिष्ट उपधारणा करने से इंकार कर सकेगा यदि पूर्वोक्त परितोषण या चीज, उसकी राय में, इतनी तुच्छ है कि भ्रष्टाचार का कोई निष्कर्ष उचित रूप से नहीं निकाला जा सकता ।

5. पदीय कर्तव्य के निर्वहन में आपराधिक अवचार – (1) कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार का अपराध करने वाला कहा जाता है –

(क) यदि वह अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए (वेध पारिश्रमिक से भिन्न) कोई परितोषण ऐसे हेतु या इनाम के रूप में जैसा भारतीय दंड संहिता की धारा 161 में वर्णित है किसी व्यक्ति से अभ्यासत : प्रतिगृहित या अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहित करने के लिए सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, या

(ख) यदि वह अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका अपर्याप्त होना वह जानता है किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका कि अपने द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही या कारबार से संबंध रहा होना, होना या हो सकना अथवा अपने या किसी ऐसे लोक सेवक के जिसके वह अधीनस्थ है पदीय कृत्यों से कोई संबंध होना वह जानता है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका ऐसे संबद्ध व्यक्ति में हितबद्ध या उससे संबन्धित होना वह जानता है अभ्यासत: प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, या

(ग) यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई या अपने नियंत्रणाधीन कोई सम्पत्ति अपने उपयोग के लिए बईमानी से या कपटपूर्वक दुर्विनियुक्त करता है या अन्यथा संपरिवर्तित कर लेता

है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, या

(घ) यदि वह भ्रष्ट या अवैध साधनों से या लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का अन्यथा दुरूपयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी फायदा अभिप्राप्त करता है, या

(ड.) यदि उसके या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसे धन संबंधी साधन तथा ऐसी सम्पत्ति है जो उसकी आय के ज्ञात स्त्रोतों की अननुपातिक है अथवा उसके पद की कालावधि के दौरान किसी समय कब्जे में रही है जिसका कि वह लोक सेवक समाधानप्रद लेखा-जोखा नहीं दे सकता ।

(2) कोई लोक सेवक जो आपराधिक अवचार करेगा इतनी अवधि के लिए, जो एक वर्ष से कम की न होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा :

परंतु न्यायालय, लेखबद्ध किए गए किन्ही विशेष कारणों से, एक वर्ष से कम के कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा ।

(3) जो कोई अभ्यासत:-

(i) भारतीय दंड संहिता की धारा 162 या धारा 163 के अधीन दंडनीय कोई अपराध करेगा, या

(ii) भारतीय दंड संहिता की धारा 165-क के अधीन दंडनीय कोई अपराध करेगा, वह इतनी अवधि के लिए जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा:

परन्तु न्यायालय, लेखबद्ध किए गए किन्हीं विशेष कारणों से, एक वर्ष के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

(3क) जो कोई उपधारा (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में निर्दिष्ट कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3ख) जुर्माने की रकम नियत करने में न्यायालय, वहां जहां जुर्माने का दण्ड उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन अधिरोपित किया गया है उस रकम या उपधारा (3) के अधीन अधिरोपित किया

गया है उस रकम या सम्पत्ति के मूल्य का, यदि कोई हो, जिसे अभियुक्त व्यक्ति ने अपराध करके अभिप्राप्त किया हो अथवा वहां जहां दोषसिद्धि उपधारा (1) के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए है उस खण्ड में निर्दिष्ट धन संबंधी साधनों या सम्पत्ति का, जिसका कि अभियुक्त व्यक्ति समाधानप्रद लेखा जोखा देने मे असमर्थ है, ध्यान रखेगा।

(4) इस धारा के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अध्यीकरण में, और इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात किसी लोक सेवक को किसी ऐसी कार्यवाही से छूट नहीं देगी जो उसके खिलाफ इस धारा के अलावा संस्थित की जा सकती है।

5क. **इस अधिनियम के अधीन मामलों का अन्वेषण-** (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित की पंक्ति से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी :-

(क) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन की दशा में पुलिस निरीक्षक,

(ख) कलकत्ता और मद्रास के प्रेसिडेन्सी नगरों मे, सहायक पुलिस आयुक्त

(ग) बम्बई प्रेस्डिेन्सी नगर में, पुलिस अधीक्षक और

(घ) अन्यत्र, उप पुलिस अधीक्षक ।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 धारा 165 या धारा 165क के अधीन अथवा इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण, यथास्थिति, प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, अथवा उसके लिए कोई गिरफ्तारी, वारन्ट के बिना, नहीं करेगा :

परन्तु यदि पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न होने वाला कोई पुलिस अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निर्मित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है तो वह भी ऐसे किसी उपराध का अन्वेषण यथास्थिति, प्रेसिडेन्सी या मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, अथवा उसके लिए गिरफ्तारी, वारंट के बिना, कर सकेगा :

परन्तु यह और कि धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) में निर्दिष्ट किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना नहीं किया जाएगा जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो।

(2) यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा किसी पुलिस अधिकारी के पास किसी ऐसे अपराध के किए जाने का संदेह करने का कारण हे जिसका अन्वेषण करने के लिए वह उपधारा (1) के अधीन सशक्त है

और वह समझता है कि ऐसे अपराध का अन्वेषण या जांच करने के प्रयोजन के लिए किन्हीं बैंककार बहियों का निरीक्षण करना आवश्यक है तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी वाद के होते हुए भी वह किन्हीं बैंककार बहियों का वहां तक निरीक्षण कर सकेगा जहां तक वे उस व्यक्ति के जिसके द्वारा अपराध किए जाने का संदेह है,या किन्हीं अन्य व्यक्ति के जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति के निमित्त धन धारण किये जाने का संदेह है । लेखाओं से संबंधित है, और उसमें सें सुसंगत प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां ले सकेगा या लिवा सकेगा तथा संबंधित बैंक उस पुलिस अधिकारी की, इस उपधारा के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग में सहायता करने के लिए आबद्ध होगा :

परन्तु किसी व्यक्ति के लेखाओं के संबंध में इस उपधारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा जब तक कि वह पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के या उससे ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस निर्मित विशेष रूप से प्राधिकृत न कर दिया गया हो ।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा में "बैंक" और "बैंककार वही" पदों के वे ही अर्थ होंगे जो उन्हे बैंककार वही साक्ष्य अधिनियम,1891 में दिए गए है ।

6. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना – (1) कोई न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 या धारा164 या धारा 165 के अधीन या इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) या उपधारा (3क) के अधीन दण्डनीय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान, जिसकी बाबत् यह अभिकथित है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा : -

(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो संघ के मामलों के सम्बध में नियोजित है और जो अपने पद से केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता है, केन्द्रीय सरकार,

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा, में जो राज्य के मामलों के संबंध में नियोजित है और जो अपने पद में राज्य सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता है, राज्य सरकार,

(ग) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी ।

(2) जहां किसी भी कारणवश इस बावत् शंका उत्पन्न हो जाए की उपधारा 1 के अधीन अपेक्षित पूर्व मंजूरी केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी में से किसी द्वारा दी जानी चाहिए वहां ऐसी मंजूरी उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा दी जायेगी जो लोक सेवक को उसके पद से उस समय हटाने के लिये सक्षम था जिस समय अपराध किया जाना अभिकथित है ।

6क. **धारा 5 (1) (म) के अधीन किसी अपराध के संबंध में आरोप की विशिष्टियां:-** दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में किसी बात के होते हुए भी, जब कोई अभियुक्त धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी अपराध से आरोपित किया जाता है तब आरोप में उस सम्पत्ति को, जिसके संबंध में उस अपराध का किया जाना अभिकथित है और उन तारीखों को, जिनके बीच अपराध का किया जाना अभिकथित है, विशिष्ट मदों या ठीक-ठीक तारीखों को विनिर्दिष्ट किए बिना, वर्णित करना पर्याप्त होगा और ऐसे विरचित आरोप को उक्त संहिता की धारा 234 के अर्थ में एक अपराध का आरोप समझा जाएगा:

परन्तु ऐसी प्रथम और अंतिम तारीखों के बीच का समय एक वर्ष से अधिक नहीं होगा ।

7. अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना :- भारतीय दंड संहिता की धारा 161 या धारा 165 या धारा 165क के अधीन या इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा पक्ष के लिए सक्षम साक्षी होगा और वह अपने खिलाफ या उसी विचारण में अपने साथ आरोपित किसी व्यक्ति के खिलाफ किए गए आरोपों को नासाबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकेगा:

परंतु-

(क) साक्षी के रूप में वह अपनी प्रार्थना पर के सिवाय आहूत नहीं किया जाएगा,

(ख) साक्ष्य देने में उसकी असफलता पर अभियोजन पक्ष कोई टीका-टिप्पणी नहीं करेगा अथवा उससे, उसके या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई उपधाराणा उत्पन्न होगी,

(ग) कोई ऐसा प्रश्न जिसकी पवृत्ति यह दर्शित करने की है कि जिस अपराध का आरोप उस पर लगाया गया है उससें भिन्न कोई अपराध उसने किया है या वह उसके लिए सिद्धदोष हो चुका है, या वह बुरे चरित्र का है उससे उस दशा में के सिवाय न पूछा जाएगा या पूछे जाने पर उसका उत्तर देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जिसमें-

(i) इस बात का सबूत कि उसने ऐसा अपराध किया है या उसके लिए वह सिद्धदोष हो चुका है, यह दर्शित करने के लिए ग्राहा साक्ष्य है कि वह उस अपराध का दोषी है जिसका आरोप उस पर लगाया गया है, या

(ii) उसने स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा अभियोजन-पक्ष के किसी साक्षी से अपना अच्छा चरित्र सिद्ध करने की दृष्टि से प्रश्न पूछे हैं या अपने अच्छें चरित्र का साक्ष्य दिया है

अथवा प्रतिरक्षा का स्वरूप या संचालन इस प्रकार का है कि उसमें अभियोजक के या अभियोजन पक्ष के किसी साक्षी के चरित्र पर लांछन अंतर्ग्रस्त हैं, या

(iii) उसने उसी अपराध से आरोपित किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य दिया है ।

7क. दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 का कुछ उपान्तरों के अध्यधीन लागू होना:- दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के उपबंध, भारतीय दंड संहिता की धारा 161, धारा 165 या धारा 165क के अधीन अथवा इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के संबंध में किसी कार्यवाही पर लागू होने मे एसे प्रभावी होंगे मानों –

(क) धारा 251 क की उपधारा (8) में "तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी" शब्दों के लिए "तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह तुरंत या इतने समय के भीतर जितना मजिस्ट्रेट अनुज्ञात करे, उन व्यक्तियों को (यदि कोई हो) जिनकी वह अपने साक्षियों के रूप में परीक्षा करना चाहता है और उन दस्तावेजों की (यदि कोई हो) जिन पर वह निर्भर करना चाहता है, एक लिखित सूची दे, और तब उससे अपेक्षा की जाएगी" शब्द प्रतिस्थापित कर दिए गए हों,

(ख) धारा 344 की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्त: स्थापित कर दिया गया हो, अर्थात् –

"परंतु यह भी कि कार्यवाही को केवल इस आधार पर स्थगित या मुल्तवी नहीं किया जाएगा कि कार्यवाही के एक पक्षकार द्वारा धारा 435 के अधीन आवेदन किया गया है ।"

(ग) धारा 435 की उपधारा (1) में स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित परंतुक अन्त: स्थापित कर दिया गया हो, अर्थात् :-

"परंतु जहां किसी न्यायालय द्वारा उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग ऐसी कार्यवाहियों के किसी एक पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर किया जाता है वहां वह न्यायालय कार्यवाही के अभिलेख को मामूली तौर पर –

(क) दूसरे पक्षकार को इस बात का हेतुक दर्शित करने का अवसर दिए बिना नहीं मंगाएगा कि अभिलेख क्यों न मंगाया जाए, या

(ख) उस दशा में नहीं मंगाएगा जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि कार्यवाही के अभिलेख की परीक्षा उसकी प्रमाणित प्रतियों से की जा सकती है,

और किसी भी दशा में, अवर न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों पर के सिवाय नहीं रोकी जाएंगी ।"

(घ) धारा 540 क की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित कर दी गई हों, अर्थात्:-

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) मे अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, यदि ठीक समझता है तो, और उसके द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, अभियुक्त या उसके प्लीडर की अनुपस्थिति में जांच या विचारण करने के लिए अंग्रसर हो सकेगा और किसी साक्षी के साक्ष्य को, प्रति परीक्षा के लिए उस साक्षी को पुन: बुलाने के अभियुक्त के अधिकार के अध्यधीन, अभिलिखित कर सकेगा ।

8. रिश्वत देने वाले का अपने कथन पर अभियोजित न होना- तत्समय प्रवृत किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी भारतीय दंड संहिता की धारा 161 या धारा 165 के अधीन या इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) या उपधारा (3क) के अधीन किसी से अपराध के लिए किसी लोक सेवक के खिलाफ किसी कार्यवाही में किसी व्यक्ति के इस कथन से कि उसने उस लोक सेवक को (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) कोई परितोषण या कोई मूल्यवान चीज देने की प्रस्थापना की थी या प्रस्थापना करने के लिए सहमति दी थी, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उक्त संहिता की धारा 165 क के अधीन कोई अभियोजन नहीं हो सकेगा ।

****